संख्या-50/2019/1367/12-5-2019-सा0-01/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 21 नवम्बर, 2019**

विषय- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 04 नवम्बर 2019 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान उक्त विषय पर दिये गये निर्देशों को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान पुनः निम्न तथ्यों की ओर आकर्षित करना है :-

1- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 111 लाख से अधिक ऐसे प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा में उल्लिखित कृषक का नाम उसके आधार कार्ड उल्लिखित नाम से भिन्न है। यदि अपलोड किए गए डाटा में कृषक का नाम आधार कार्ड में दिए गए नाम के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता है तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से देय आगामी किश्ते कृषक को प्राप्त नहीं हो पायेंगी।

2- इसके अतिरिक्त अभी भी लगभग 20 लाख कृषकों का डाटा ऐसा है, जिसमें बैंक एकाउन्ट सही न होने के कारण पी०एफ०एम०एस० के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

3- उपरोक्त के अलावा जनपदों में कई कृषक परिवार ऐसे छूट हुये हैं, जिनके आंकड़ें संग्रह करके अभी राज्य मुख्यालय पर भेजा जाना है, ऐसे छूटे हुये किसानों के डाटा को मुख्यालय द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

उक्त के दृष्टिगत योजना के क्रियान्वयन में प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही की जानी आवश्यक है:-

क- दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक अभियान चलाया जाए, जिसमें प्रत्येक तहसील स्तर पर इस योजना के संबंध में कार्य किया जाना होगा। तहसीलों के रिकार्ड रूम में राजस्व ग्रामवार कृषकों के दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें ग्रामवार निकाल करके आधार कार्ड की छायाप्रति से मिलान कर कृषक का नाम संशोधित करते हुए सही कर दिया जाए।

ख- तहसील के रिकार्ड रूम में रखे हुए दस्तावेज में बैंक पास बुक की छायाप्रति भी उपलब्ध है। पी०एफ०एम०एस० के द्वारा अस्वीकृत किए गए लगभग 20 लाख डाटा को बैंक पास बुक की छायाप्रति के आधार पर तहसील स्तर पर अभियान के तौर पर शुद्ध करके राज्य मुख्यालय को भेजा जाए।

ग- फील्ड में एक अभियान चलाते हुए छूटे हुए सभी पात्र कृषक परिवारों का डाटा इकट्ठा कर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करा दिए जाए। इसके लिए पूर्व में बताए गए टेबल-टॉप एक्सरसाइज के आधार पर कार्यवाही को पूर्ण किया जाए। नया डाटा फीड करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाये कि किसान का नाम आधार कार्ड में छपे हुये नाम के अनुसार फीड हो तथा बैंक खाता किसान की बैंक पासबुक से मिलान करते हुये फीड हो, ताकि उसके भुगतान में व्यवधान न उत्पन्न होने पाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त योजना की धीमी प्रगति पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की है और दिनांक 30 नवम्बर 2019 तक योजना का अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये हैं। कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर इसे निर्धारित तिथि तक अभियान चलाकर सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-50/2019/1367(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- समस्त उप निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।